न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु0जा0 / अनु0जन0(अ0नि0) अधि0, पीलीभीत।

वारंट एवं सम्मन वाद संख्या 104 / 2022

CNR No. UPPB010078482022

ओमप्रकाश बनाम प्रमोद कटियार आदि

06.4.2023

1. पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2. परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया है कि परिवादी दिनांक 29.10.22 को समय लगभग 5 बजे शाम अपने खेत में गन्ने की फसल देखने गया था तो वहां पर विपक्षी प्रमोद कटियार व उसका लड़का कुलदीप परिवादी के खेत की मेढ़ पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ उखाड़ रहे थे। परिवादी ने विरोध किया तो उपोक्त लोग परिवादी को मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुये परिवादी को लात घूंसों व थप्पड़ों से मारपीट करने लगे और कहने लगे कि साले पसिटटा तू हमारी बराबरी करेगा और मारपीट के दौरान परिवादी की जेब में रखे 500 / –रु0 भी जबरिया छीन लिये। परिवादी के शोर पर गया प्रसाद व संजू व अन्य लोग आ गये। जिन्होंने परिवादी को बचाया व वाक्या देखा। परिवादी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना जहानाबाद गया और लिखित तहरीर दी परंतु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। परिवादी ने घटना के संबंध में एक प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

3. परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं पी0डब्लू0 1 गया प्रसाद व पी0डब्लू0 2 संजय उर्फ संजू का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत लेखबद्ध कराया गया है।

4. **परिवादी ओमप्रकाश** ने अपने बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह जाति का पासी है। घटना दिनांक 29.10.22 को शाम के लगभग 5.00 बजे की है। वह अपने खेत में खड़े गन्ने की फसल देखने गया था। उसने देखा कि प्रमोद कटिया और उसका लड़का कुलदीप गन्ने के खेत की मेढ़ पर लगे यूकेलिप्टस का पेड़ उखाड़ रहे थे। उसने जब विरोध किया तो उसे गंदी–गंदी मां बहन की गाली दिये और कहा कि पसिया तू मेरा विरोध करेगा तू मेरी बराबरी करेगा ? उसे लात घूंसों से मारने लगे तथा उसकी जेब में रखे 500 / –रु0 लूट लिये। उन्होंने धमकी दिया कि देखें पसिया साले तू कैसे गन्ने की फसल काटता है। गयाप्रसाद, संजू व अन्य गांव के लोगों ने बीच बचाव किया तो जान से मारने की धमकी देकर वे लोग फरार हो गये। उसने उन लोगों से कहा कि उसके पैसे छीन लिये। तब तक वह लोग फरार हो गये। दूसरे दिन 30.10.22 को वह थाने लिखित तहरीर लेकर गया। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। इसके बाद एस0पी0 साहब को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

5. **पी0डब्लू0 1 गया प्रसाद** ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि दिनांक 29.10.22 को समय पांच बजे शाम वह व संजू ग्राम गोंच की तरफ से काम करके आ रहे थे। जैसे ही हम लोग गहलुईया मोड़ पर तालाब के पास पहुंचे कि अचानक ओमप्रकाश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तभी वह व संजू तथा अन्य लोग दौड़कर ओमप्रकाश के खेत पर पहुंचे तो देखा कि प्रमोद कटियार व उसका लड़का ओमप्रकाश को लात घूंसों से मारपीट कर रहे थे। प्रमोद व कुलदीप ओमप्रकाश को साले पसेटा–पसेटा कह रहे थे। दोनों ने ओमप्रकाश की जेब में रखे पांच सौ रूपये निकाल लिये। हम लोगों के आने पर उक्त लोग आयन्दा जान से मारने की धमकी व गालियां देते हुये चले गये।

6. **पी0डब्लू0 2 संजय उर्फ संजू** ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में घटना का समर्थन करते हुये कहा है कि दिनांक 29.10.22 को समय 5.00 बजे शाम वह व गया प्रसाद गांव गोंच से मजदूरी करके वापस आ रहे थे। जैसे ही हम लोग गहलुईया मोड़ पर तालाब के

पास पहुंचे कि अचानक ओमप्रकाश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तभी वह व संजू तथा अन्य लोग दौड़कर ओमप्रकाश के खेत पर पहुंचे तो देखा कि प्रमोद कटियार व उसका लड़का ओमप्रकाश को लात घूंसों से मारपीट कर रहे थे। प्रमोद व कुलदीप ओमप्रकाश को साले पसेटा–पसेटा कह रहे थे। दोनों ने ओमप्रकाश की जेब में रखे पांच सौ रूपये निकाल लिये। हम लोगों के आने पर उक्त लोग आयन्दा जान से मारने की धमकी व गालियां देते हुये चले गये।

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से विपक्षीगण प्रमोद कटियार व कुलदीप के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 323, 504, 506, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5ए) एवं 3(2)(5) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम में अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः विपक्षीगण प्रमोद कटियार व कुलदीप को उपरोक्त अपराध के लिए जरिये सम्मन आहूत किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रमोद कटियार व कुलदीप को धारा 323, 504, 506, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5ए) एवं 3(2)(5) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम में जरिये सम्मन दिनांक 04.5.2023 के लिए आहूत किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर 7 दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुलजिमान दिनांक 04.5.2023 को पेश हो।

दिनांकः 06.4.2023
अशोक कुमार

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
पीलीभीत।

Digitally signed by Shiva Pandey
Date: 2023.04.07 11:07:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court